

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-

(पत्रांक-226/2024 दिनांक 13.08.2024)

दिनांक-13.08.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

नाबालिक अनुसूचित जाति की युवती के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती एवं धर्मपरिवर्तन कराने वाला मौलाना गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर थाना जटहाँ बाजार पर दिनांक 08.08.2024 को पीड़िता की माँ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी नाबालिक लड़की को गांव के ही मदरसे में पढ़ाने वाला मुहम्मद ओवैस पुत्र मुहम्मद साहिरुद्दीन साकिन उत्तर झाड बारी थाना ग्वाल पोखर जनपद उत्तर दिनाजपुर राज्य पश्चिम बंगाल के द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाया गया है जिसपर पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुये मु0अ0सं0 173/2024 धारा 137(2)/352/351(2) बी0एन0एस0 व 3(2)V ST/SC पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी व पीड़िता की बरामदगी हेतु टीम गठित कर सतत् प्रयास से अभियुक्त मुहम्मद ओवैस उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया एवं पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया -

पूछताछ के दौरान-यह तथ्य सामने आया कि आरोपी मूलतः उत्तर झाड बारी थाना ग्वाल पोखर जनपद उत्तर दिनाजपुर राज्य पश्चिम बंगाल का रहने वाला हैं एवं कुशीनगर में मदरसे में पढ़ाने के उद्देश्य से आया था एवं अभियुक्त द्वारा पीड़िता को भगाकर उत्तर झाड बारी थाना ग्वाल पोखर जनपद उत्तर दिनाजपुर राज्य पश्चिम बंगाल जो कि बांग्लादेश के बार्डर पर स्थित है ले गया, जहाँ उसका धर्म परिवर्तन कराया गया एवं बार-बार पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया जिस कारण पीड़िता गर्भवती हो गयी। आरोपी द्वारा पीड़िता का नाम बदलकर रानी खातून रख दिया गया था। उक्त अभियोग में साक्ष्य पाते हुए मुकदमा उपरोक्त में धारा 137(2)/352/351(2)/87/64(1) बी0एन0एस0 व 5/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)V ST/SC व 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की वृद्धि करते हुये विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है। यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि आरोपी का बांग्लादेश बार्डर पर नियमति रूप से आना जाना लगा रहता था। आगे की जाँच प्रचलित है एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 173/2024 धारा 137(2)/352/351(2)/87/64(1) बी0एन0एस0 व 5/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)V ST/SC व 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम।

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त-

1-मुहम्मद ओवैस पुत्र मुहम्मद साहिरुद्दीन साकिन उत्तर झाड बारी थाना ग्वाल पोखर जनपद उत्तर दिनाजपुर राज्य पश्चिम बंगाल।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1- प्र0नि0 श्री ओमप्रकाश तिवारी थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
- 2-उ0नि0 गौरव शुक्ला चौकी प्रभारी मंशाछापर थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
- 3-उ0नि0 अनिल कुमार शर्मा थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
- 4-का0 विनय कुमार यादव थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
- 5-म0का0 ज्योति सिंह थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर

थाना रविन्द्रनगर धूस क्षेत्रान्तर्गत गणेशी पट्टी कालीमाता मन्दिर के पास से गैंगेस्टर के मुकदमें में 25000/- रुपये का ईनामिया वांछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल, अवैध शस्त्र, चोरी की मोटरसाइकिल, वाहन खोलने के उपकरण, पाँच हजार (5000) रुपये नगद बरामद:-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सदर अभिषेक प्रताप अजेय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 12.08.2024 को थाना रविन्द्रनगर धूस, थाना तरयासुजान, थाना कोतवाली हाटा, व साईबर थाना की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा गणेशी पट्टी स्थित काली माता स्थान तिराहे पर बैरियर लगाकर घेराबन्दी कर चेकिंग की जा रही थी एक मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति को रुकने का प्रयास किया गया तो उस व्यक्ति ने कुछ दूर पहले ही रुक कर लक्ष्य साध कर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया, जवाबी प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा फायर किया गया जिसमें अभियुक्त 1.बाला यादव पुत्र कन्हैया यादव सा0 लालगढ़ थाना जोगापट्टी जनपद बेतिया बिहार के पैर के निचले हिस्से में गोली लगी जिससे वह घायल हो गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमन्चा .315 बोर अवैध व 03 अदद जिन्दा कारतुस .315 बोर व 02 अदद फायरशुदा कारतुस .315 बोर व अपराध में प्रयुक्त 01 अदद मोबाईल की पैड व अपराध से अर्जित अवैध धन नकद रुपया 5000/- , वाहन को चोरी करने के उपकरण व दो पहिया वाहन खोलने का मास्टर की सहित भिन्न- भिन्न चाभियों का गुच्छा व 01 अदद मो0सा0 चोरी की बिना नम्बर हिरो स्पेलेण्डर प्लस बरामदगी की गयी। गिरफ्तार/घायल अभियुक्त बाला यादव उपरोक्त को दवा ईलाज हेतु पुलिस अभिरक्षा में संयुक्त जिला चिकित्सालय कुशीनगर भेजा गया ।

उल्लेखनीय है कि मु0अ0सं0 164/2024 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित अभियुक्त बाला यादव पुत्र कन्हैया यादव सा0 लालगढ़ थाना जोगापट्टी जनपद बेतिया बिहारी की गिरफ्तारी हेतु 25,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध का तरीका-

गैंगेस्टर अभियुक्त बाला यादव उपरोक्त जो गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमें में वांछित था जो कि बिहार बार्डर के सीमावर्ती क्षेत्रों में बिना नं0 की चोरी की मोटरसाइकिल से बिहार के सीमावर्ती जिलों व कुशीनगर के भिन्न- भिन्न स्थानों पर घूम घूम कर दो पहिया वाहन व चार पहिया वाहनों को चोरी कर बिहार में सस्ते दामों पर बेच देता है तथा अभियुक्त एक बैग में वाहन को चोरी करने के 01 चाभी मास्टर की भी

रखता है जिससे वह दो पहिया व चार पहिया वाहनों को चोरी करने में उपयोग में लाता है तथा अभियुक्त अपने पास अवैध तमन्चा भी रखता है जिसको अपराधिक कृत्य में इस्तेमाल करता है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 140/2024 धारा 109, 317(5) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना रविन्द्र नगर धूस जनपद कुशीनगर

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.बाला यादव पुत्र कन्हैया यादव निवासी लालगढ़ थाना जोगापट्टी जनपद पश्चिमी चम्पारण,बिहार (घायल) (25000 रुपये ईनामिया)

विवरण बरामदगी:-

- 1.एक अदद अवैध तमन्चा 315 बोर
- 2.दो अदद खोखा कारतूस 315 बोर
- 3.तीन अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 4.पाँच हजार (5000) रुपये नगद
- 5.चोरी की मोटरसाइकिल
- 6.एक पीटू बैग
- 7.वाहन खोलने के उपकरण (रिंच, पेचकस,पिलास, चाभी का गुच्छा)
- 8.एक की-पैड मोबाइल

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 164/2024 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
- 2-मु0अ0सं0 437/2023 धारा 379,411 भादवि थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
- 3-मु0अ0सं0 443/2024 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
- 4-मु0अ0सं0 56/2023 धारा 414 भादवि व 30A बिहार एक्सार्ज एण्ड प्रोहिविशन एक्ट थाना नौतम पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) बिहार
- 5-मु0अ0सं0 50/19 धारा 414,420 भादवि व 30A बिहार एक्सार्ज एण्ड प्रोहिविशन एक्ट थाना श्रीनगर पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) बिहार
- 6-मु0अ0सं0 469/2021 धारा 414 भादवि व 30A बिहार एक्सार्ज &प्रोहिविशन एक्ट थाना योगापट्टी जनपद पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) बिहार

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.प्र0नि0 श्री राजप्रकाश सिंह थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर मय टीम
- 2.प्र0नि0 श्री आशुतोष सिंह थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर मय टीम
- 3.प्र0नि0 श्री मनोज कुमार पन्त साइबर थाना जनपद कुशीनगर मय टीम
- 4.थानाध्यक्ष श्री विनय कुमार मिश्रा थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर मय टीम
- 5-व0उ0नि0 जीत बहादुर यादव थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर

- 6-30नि0 सौरभ द्विवेदी थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
- 7-30नि0 अनुराग शर्मा थाना हाटा जनपद कुशीनगर
- 8-30नि0 रणविजय सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 9-30नि0 प्रभात यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 10-हे0का0 राधेश्याम यादव थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
- 11-का0 रामविनय यादव थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
- 12-का0 वीरेन्द्र मौर्या थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
- 13-हे0का0 सचिन कुमार थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
- 14-का0 गिरीश कुमार थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
- 15-का0 अवनीश कुमार थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

थाना कुबेरस्थान क्षेत्रान्तर्गत एक व्यक्ति की हुई हत्या की घटना का पर्दाफाश, घटना में शामिल पत्नी गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभिषेक प्रताप अजेय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 12.08.2024 को प्र0नि0 श्री अजय कुमार मौर्य थाना कुबेरस्थान मय पुलिस टीम द्वारा सेमरा हर्दो पुलिया नं0-02 के पास से मु0अ0सं0-239/2024 धारा 103/248 बीएनएस0 से संबंधित प्रकाश में आयी अभियुक्ता- सुशीला देवी पत्नी स्व0 रामआशीष मद्देशिया सा0 परसौनी खुर्द-2 थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्ता सुशीला देवी पत्नी स्व0 रामआशीष जो अपने पति स्व0 राम आशीष मद्देशिया के रोज-रोज शराब पीकर वाद-विवाद/मारपीट करने को लेकर विवाद करता रहता था। दिनांक 09/10.08.2024 की रात्रि उक्त दोनों पति-पत्नी के मध्य इसी बात को लेकर विवाद व मारपीट हुई जिसमें सुशील देवी द्वारा अपने पति को पहले लोहे की राड से पीटा गया और उसके बाद प्लास्टिक के पाईप से उसका गला घोटकर हत्या कर दी गयी। हत्या में प्रयोग सभी आलाकत्ल बरामद कर घटना का सफल अनावरण किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-239/2024 धारा 103/248 बीएनएस0 थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्ता-**(मृतक की पत्नी)

सुशीला देवी पत्नी स्व0 रामआशीष मद्देशिया सा0 परसौनी खुर्द-2 थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर

बरामदगी-

- 1-एक अदद पेशकस मय आलाकत्ल
- 2-एक अदद लोहे का राड मय आलाकत्ल
- 3-एक प्लास्टिक की पाइप मय आलाकत्ल

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-SHO श्री अजय कुमार मौर्य थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर।
- 2-निरीक्षक श्री मनोज कुमार पंत प्रभारी साइबर सेल जनपद कुशीनगर।
- 3-प्रभारी स्वाट टीम उ0नि0 श्री आलोक यादव जनपद कुशीनगर ।
- 4-उ0नि0 श्री अजय कुमार पाल थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर।
- 5-प्रशि0उ0नि0 श्री सागर थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर ।
- 6-का0 संतोष यादव थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर ।
- 7-का0 इन्द्रेष कुमार यादव थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर।
- 8-का0 राजदीप ओझा थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
- 9-म0का सोनम खरवार थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर।
- 10-म0का0 रूबी सिंह थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर।

थाना विशुनपुरा पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मामले में 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.08.2024 को थाना विशुनपुरा पुलिस द्वारा को टैक्सी स्टेण्ड दुदही के पास से मु0अ0सं0 212/2024 धारा 498ए/304बी भादवि0 व ¾ डीपी एक्ट में वांछित अभियुक्त सुकई चौहान पुत्र सीता चौहान निवासी तिलकपट्टी थाना-विशुनपुरा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 212/2024 धारा 498ए/304बी भादवि0 व ¾ डीपी एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1-सुकई चौहान पुत्र सीता चौहान निवासी तिलकपट्टी थाना-विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-प्र0नि0 रामसहाय चौहान थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
- 2-उ0नि0 विजयशंकर यादव थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
- 3-का0 सुर्यप्रताप सिंह थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
- 4-का0 श्यामसुन्दर यादव थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के कुशल निर्देशन में वांछित/ वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.08.2024 को थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा 02 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

धारा 107/116 द0प्र0सं0

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1-विनय चौहान पुत्र मदन चौहान सा0 जंगल घोरठ थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
- 2-रामाआशीष चौहान पुत्र प्रसाद सा0 जंगल घोरठ थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-थानाध्यक्ष श्री संजय कुमार थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।
- 2-उ0नि0 श्री विनायक यादव थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
- 3-का0 अभिषेक यादव थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।
- 4-का0 जयप्रकाश राय थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।

थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में वांछित अपराधियो / वारण्टियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.08.2024 को थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा पटहेरिया चैराहा एन.एच-28 के पास से मु0अ0सं0 223/24 धारा 103(1)/238 बीएनएस 2023 व 3(2)Vएससी एसटी एक्ट मे वांछित चल रहे अभियुक्त कृष्णा सिंह उर्फ कृष्णा कुमार सिंह पुत्र शम्भू सिंह साकिन पगरा पड़री टोला बसन्तपुर थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 223/24 धारा 103(1)/238 बीएनएस 2023 व 3(2)Vएससी एसटी एक्ट थाना पटहेरवा कुशीनगर

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त-

1-कृष्णा सिंह उर्फ कृष्णा कुमार सिंह पुत्र शम्भू सिंह साकिन पगरा पड़री टोला बसन्तपुर थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-SOश्रीराकेश रोशन सिंह थाना पटहेरवा कुशीनगर
- 2-उ0नि0 श्री दशरथ कुमार थाना पटहेरवा कुशीनगर
- 3-उ0नि0 श्रवण कुमारथाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 4-हे0का0 श्याम सिंह यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 5-का0 सोहित कुमार थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 6-का0 अर्जुन खरवार थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 37नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-00वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-45,व्यक्ति-127
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(07)
- 4-जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-44)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर